ओरछा वन्य जीव अभयारण्य में अवैध खनन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने **ओरछा वन्यजीव अभयारण्य** के इको-सेंसिटिव ज़ोन में पत्थर तोड़ने वाले और खनन खदानों के **अवैध संचालन** की शिकायत पर गौर करने के लिये एक समिति का गठन किया।

मुख्य बिंदु:

- NGT के अनुसार, **337 टन रासायनिक अपशिष्ट के निपटान,** भूजल प्रदूषण, पाइप से पानी की कमी और अनुमेय सीमा से अधिक **लौह, मैंगनीज़ तथा नाइट्रेट सांद्रता** की निगरानी के लिये **तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।**
- **इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थित है।**
- **यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में** बेतवा नदी (यमुना की एक सहायक नदी) के पास स्थित है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैवविविधता में योगदान देती है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत **राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर** आने वाली भूमि को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) अथवा पर्यावरण नाज़ुक क्षेत्र के रूप में घोषित करना चाहिये
- जबकि **10 किमी. का नियम** एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है। 10 किमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी **केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है,** यदि वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण **"संवेदनशील गलियारे"** रखते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/illegal-mining-in-orchha-wildlife-sanctuary-1